मु.नं.–27 / 2021 GCMS ID-2021/47 ता.रजु–01.04.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

शुभम तिवाड़ी, पुत्र श्री शिवचरण तिवाड़ी निवासी फुलवाड़ा, तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, हिण्डौन सिटी – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 14.06.2021, 21.06.2021, 28.06.2021, 05.07.2021, 12.07.2021, 19.07.2021, 26.07.21, 05.08.21, 16.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2021 पर विभाग द्वारा की गई समस्त कार्यवाहियों की पूर्व विवरण सहित सभी रिपोर्टों की प्रति चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में बिन्दुबार सूचना उनके पत्रांक 568 दिनांक 15.03.2021 व पुनः पत्रांक 656 दिनांक 09.04.2021 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अंत में अपील, अपीलार्थी निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को पत्रांक 568 दिनांक 15.03.2021 व पुनः पत्रांक 656 दिनांक 09.04.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है। अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली